



न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-तृतीय, गोरखपुर

जमानत प्रार्थना पत्र सं०- 3369/2026

सरकार-----बनाम-----अभय राज साहनी

मु०अ०सं०- 64/2026

अंतर्गत धारा- 281, 125(ए), 125(बी) बी.एन.एस.

थाना- कैम्पियरगंज, जनपद- गोरखपुर

दिनांक: 07.05.2026

आवेदक/अभियुक्त अभय राज साहनी द्वारा मु०अ०सं०- 64/2026, अन्तर्गत धारा-281, 125(ए), 125(बी) बी.एन.एस., थाना- कैम्पियरगंज, जिला- गोरखपुर में जमानत प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया। अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है।

थाने से प्राप्त आख्यानानुसार मु०अ०सं०- 64/2026, अन्तर्गत धारा-281, 125(ए), 125(बी) बी.एन.एस., थाना- कैम्पियरगंज, जिला- गोरखपुर में अभियुक्त अभय राज साहनी वांछित अभियुक्त है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध जमानतीय प्रकृति का है तथा थाने से प्राप्त आख्यानानुसार उक्त प्रकरण में अभियुक्त अभय राज साहनी वांछित अभियुक्त है। अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को भी दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त को जमानत दिये जाने का आधार पर्याप्त है। तदनुसार आवेदक/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त अभय राज साहनी को मु०अ०सं०- 64/2026, अंतर्गत धारा-281, 125(ए), 125(बी) बी.एन.एस., थाना- कैम्पियरगंज, जनपद- गोरखपुर, में निम्नलिखित शर्तों के अधीन मु०-20,000/- रुपये के एक प्रतिभू एवं समान धनराशि का व्यक्तिगत बंधपत्र दाखिल करने पर जमानत पर रिहा किया जाता है:-

1. अभियुक्त साक्षी व साक्ष्य को प्रभावित नहीं करेगा,
2. अभियुक्त विवेचना में सहयोग करेगा,
3. न्यायालय द्वारा आहूत किये जाने पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होगा।

(बृजेन्द्र कुमार त्रिपाठी)

(J.O. Code: UP2428)

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-तृतीय,
गोरखपुर